

कार्यालय आदेश

नौएडा प्राधिकरण बोर्ड की 206वीं बैठक दिनांक 20.9.2022 के मद सं0 206/8 में संचालक मण्डल द्वारा आवासीय भूखण्डों का आवंटन ई-निविदा के माध्यम से किए जाने हेतु योजनाओं के ब्रोशर डाउनलोड फीस का प्रावधान हटाते हुए आवेदको को निशुल्क ब्रोशर डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है।

उपरोक्त के क्रम में एतद्वारा आवासीय भूखण्डों की भविष्य में प्रकाशित की जाने वाली योजनाओं में ब्रोशर डाउनलोड हेतु फीस के प्रावधान को समाप्त किया जाता है।

यह आदेश प्राधिकरण बोर्ड के संचालक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।